लोन की देनदारी लगे ऐसे जैसे खुशियोंभरी ज़िम्मेदारी

एलआईसी का युवा क्रेडिट लाइफ़

UIN-512N357V01 • Plan No. 877

अपनी संपत्ति को करें सुरक्षित ऋण देनदारियो से, हमारे युवा क्रेडिट लाइफ़ के साथ।

- न्यूनतम बीमा राशि ₹50 लाख (कुछ मामलों में रियायत उपलब्ध है)
- उच्च बीमा राशि पर आकर्षक रियायत
- महिलाओं के लिए विशेष दरें

एक नॉन-पार, नॉन-लिंक्ड, जीवन, व्यक्तिगत, शुद्ध जोखिम प्लान

LIC
भारतीय जीवन बीमा निगम
LIFE INSURANCE CORPORATION OF INDIA

हर पल आपके साथ

डाउनलोड करें एलआईसी मोबाइल ऐप LIC digital | विज़िट करें: www.licindia.in | कॉल सेन्टर सर्विस (022) 6827 6827 | हमारा वॉट्सएप नं. 8976862090 कहिए 'Hi'

अधिक जानकारी के लिए आप अपने बीमा एजेन्ट/नज़दीकी एलआईसी शाखा से संपर्क करें/हमारी वेबसाइट www.licindia.in पर विज़िट करें।

हमें यहाँ फॉलो करें: LIC India Forever | IRDAI Regn No.: 512

LIC/P1/2024-25/28/Hin/SB

एलआईसी का युवा क्रेडिट लाइफ (यूआईएन: 512N357V01)

(एक असहभागी, असंबद्ध, जीवन, वैयक्तिक, विशुद्ध जोखिम योजना)

एलआईसी की युवा क्रेडिट लाइफ योजना एक असहभागी, असंबद्ध, जीवन, वैयक्तिक, विशुद्ध जोखिम योजना है, जो पॉलिसी की अवधि के दौरान बीमित व्यक्ति की दुर्भाग्यपूर्ण मृत्यु होने की स्थिति में उसके परिवार को किसी भी ऋण पुनर्भुगतान के विरूद्ध सुरक्षा प्रदान करती है।

यह एक असहभागी उत्पाद है जिसके अंतर्गत पॉलिसियाँ पॉलिसी अवधि के दौरान अधिशेष (लाभों) में किसी भी हिस्सेदारी की अधिकारी नहीं होती हैं। **यह योजना लाइसेंस प्राप्त एजेन्टों, कॉर्पोरेट एजेन्टों, ब्रोकरों और बीमा विपणन फर्मों के माध्यम से ऑफ़लाइन भी खरीदी जा सकती है।**

एलआईसी की युवा क्रेडिट लाइफ एक शुद्ध घटती हुई सावधि बीमा योजना है जिसमें पॉलिसी की अवधि के दौरान मृत्यु हितलाभ कम होता जाएगा। पॉलिसीधारक द्वारा ऋण की राशि के आधार पर मूल बीमा राशि, पॉलिसी अवधि एवं ब्याज दर का चयन किया जाएगा, जो ऋण के नियमों व शर्तों पर आधारित होंगे। पॉलिसीधारक द्वारा चुनी गई मूल बीमा राशि, पॉलिसी अवधि और ब्याज दर के आधार पर एक जोखिम बीमा–सुरक्षा अनुसूची तैयार की जाएगी। जोखिम बीमा–सुरक्षा अनुसूची के लिए उपलब्ध ब्याज दरें 6%, 7%, 8%, 9%, 10%, 11% और 12% हैं, चाहे पॉलिसीधारक द्वारा लिए गए ऋण पर ऋण प्रदाता द्वारा लगाई गई ब्याज दर कुछ भी हो। जोखिम बीमा–सुरक्षा अनुसूची में प्रत्येक पॉलिसी वर्ष के लिए मृत्यु पर बीमा राशि (यानी मृत्यु हितलाभ) दर्शाई जाएगी और चुनी गई ब्याज दर प्रति वर्ष पर आधारित होगी जो वास्तविक ऋण पुनर्भुगतान पर ध्यान दिए बिना, समीकृत वार्षिक पुनर्भुगतान के आधार पर प्रभावी होगी। आरंभ में, **मृत्यु पर बीमा राशि** मूल बीमा राशि के बराबर होगी और तत्पश्चात प्रत्येक पॉलिसी वर्ष में, **मृत्यु पर बीमा राशि** जोखिम बीमा–सुरक्षा अनुसूची में उल्लेखानुसार राशि के बराबर होगी। इसलिए, जोखिम बीमा–सुरक्षा अनुसूची में यथा निर्दिष्ट मृत्यु हितलाभ वास्तविक बकाया ऋण से अधिक या कम हो सकता है।

1. प्रमुख विशेषताएं:

- चुनने का विकल्प
  - o एकल प्रीमियम और सीमित प्रीमियम भुगतान में से चुनें
  - o पॉलिसी अवधि / प्रीमियम भुगतान अवधि चुनें।
- महिलाओं के लिए विशेष दरें।
- आकर्षक उच्च बीमाराशि छूट का लाभ।
- प्रीमियम की दरों की दो श्रेणियाँ – (1) गैर धूम्रपान वाली दरें एवं (2) धूम्रपान वाली दरें। गैर धूम्रपान वाली दरों का अनुप्रयोग यूरीनरी कोटिनाइन परीक्षण के परिणामों पर आधारित होगा। अन्य सभी मामलों में, धूम्रपान वाली दरें लागू होंगी।
- पॉलिसी की शुरुआत में पॉलिसीधारक के लिए यथा उपयुक्त ऋण पर ब्याज दर का विकल्प।

2. पात्रता की शर्तें और अन्य प्रतिबंध:

ए)	प्रवेश के समय न्यूनतम आयु	: [18] वर्ष (पिछला जन्मदिन)
बी)	प्रवेश के समय अधिकतम आयु	: [45] वर्ष (पिछला जन्मदिन)
सी)	परिपक्वता के समय न्यूनतम आयु	: [23] वर्ष (पिछला जन्मदिन)
डी)	परिपक्वता के समय अधिकतम आयु	: [75] वर्ष (पिछला जन्मदिन)

ई) न्यूनतम मूल बीमा राशि: रु. 50,00,000/-.
(हालाँकि, प्रवेश के समय 21 वर्ष (पिछला जन्मदिवस) से लेकर 45 वर्ष (पिछला जन्मदिवस) तक की आयु वर्ग के पात्र व्यक्तियों के लिए, न्यूनतम मूल बीमा राशि रु. 20,00,000 होगी, जहाँ बीमा की आवश्यकता आवास ऋण आदि जैसे निर्दिष्ट प्रयोजन के लिए अनुमोदित वित्तीय संस्थानों/एनबीएफसी से अनुमोदित स्वीकृत ऋण पर आधारित है। विभेदक प्रीमियम दरें रु. 1 लाख के गुणज में रु. 20,00,000 से रु. 35,00,000 की मूल बीमा राशि के लिए ऐसे आयु समूह के लिए लागू होगी, जिसके लिए अलग प्रीमियम दरें लागू होंगी।)

एफ) अधिकतम मूल बीमा राशि : रु. 5,00,00,000
रु. 5,00,00,000/- से अधिक की बीमा राशि पर बोर्ड द्वारा अनुमोदित जोखिमांकन नीति के अनुसार जोखिमांकन संबंधी निर्णय के अनुसार मामला दर मामला आधार पर विचार किया जा सकता है, जो ऐसे मामलों की स्वीकार्यता के लिए स्वीकार्यता/नियमों व शर्तों पर पुनर्बीमाकर्ता के निर्णय के अधीन है)।

मूल बीमा राशि नीचे बताई गई राशि के गुणकों में होगी :

मूल बीमा राशि की सीमा	मूल बीमा राशि के गुणक
रु. 50,00,000/- से लेकर रु. 75,00,000/- तक	रु. 1,00,000/-
रु. 75,00,000/- से अधिक से लेकर रु. 4,50,00,000/- से तक	रु. 25,00,000/-
रु. 1,50,00,000 से अधिक से लेकर रु. 4,00,00,000/- से तक	रु. 50,00,000
रु. 4,00,00,000/- से अधिक	रु. 1,00,00,000

जी) पॉलिसी अवधि और प्रीमियम भुगतान की अवधि:

पॉलिसी अवधि	प्रीमियम भुगतान की अवधि
5 वर्ष से 30 वर्ष	एकल
10 वर्ष से 30 वर्ष	5 वर्ष
15 वर्ष से 30 वर्ष	10 वर्ष
25 वर्ष से 30 वर्ष	15 वर्ष

एच) न्यूनतम प्रीमियम : न्यूनतम किस्त प्रीमियम सीमित प्रीमियम भुगतान वाली पॉलिसियों के लिए रु. 3,000 और एकल प्रीमियम पॉलिसियों के लिए रु. 13,000/- होगी। (हालांकि, रू. 20,00,000 से लेकर रू. 50,00,000 से कम तक की मूल बीमा राशि के लिए, न्यूनतम किस्त प्रीमियम सीमित प्रीमियम पॉलिसियों के लिए रू. 2,400 और एकल प्रीमियम पॉलिसियों के लिए रू. 8,040 होगी)।

3. हितलाभ:

चालू पॉलिसी के अंतर्गत देय लाभ निम्नानुसार हैं :

ए. मृत्यु हितलाभ :

जोखिम आरंभ होने की तिथि के पश्चात लेकिन परिपक्वता की निर्धारित तिथि से पहले पॉलिसी अवधि के दौरान बीमित व्यक्ति की मृत्यु पर देय मृत्यु हितलाभ **मृत्यु पर बीमा राशि** होगी, बशर्ते कि पॉलिसी चालू हो और दावा स्वीकार्य हो।

सीमित प्रीमियम भुगतान वाली पॉलिसी के लिए मृत्यु पर बीमा राशि को निम्नांकित में से उच्चतर के रूप में परिभाषित किया गया है :

- मृत्यु की तिथि तक ''भुगतान किए गए कुल प्रीमियमों'' का 105%; या
- मृत्यु होने पर भुगतान की जाने वाली संपूर्ण बीमित राशि।

जहाँ, भुगतान किए गए कुल प्रीमियम का मतलब किसी भी अतिरिक्त प्रीमियम और करों को छोड़कर, यदि इन्हें स्पष्ट रूप से लिया गया है, मूल उत्पाद के अंतर्गत भुगतान की गई सभी प्रीमियमों का योग है।

एकल प्रीमियम वाली पॉलिसी के लिए, मृत्यु पर बीमा राशि को निम्नानुसार परिभाषित किया गया है:

- मृत्यु होने पर भुगतान की जाने वाली संपूर्ण बीमित राशि।
  जहाँ एकल प्रीमियम करों और जोखिमांकन संबंधी अतिरिक्त प्रीमियमों को छोड़कर देय प्रीमियम की राशि होगी।

मृत्यु होने पर भुगतान की जाने वाली निश्चित बीमा राशि जोखिम बीमा–सुरक्षा अनुसूची में निर्दिष्टानुसार होगी।

जोखिम बीमा–सुरक्षा की अनुसूची में प्रत्येक पॉलिसी वर्ष के लिए मृत्यु पर बीमा राशि को दर्शाया जाएगा और चुनी गई ब्याज दर प्रति वर्ष पर आधारित होगी, जो वास्तविक ऋण पुनर्भुगतान पर ध्यान दिए बिना, समीकृत वार्षिक पुनर्भुगतान के आधार पर प्रभावी होगी। आरंभ में, **मृत्यु पर बीमा राशि** मूल बीमा राशि के बराबर होगी और तत्पश्चात प्रत्येक पॉलिसी वर्ष में, **मृत्यु पर बीमा राशि** का **जोखिम बीमा–सुरक्षा** अनुसूची में उल्लेख किया जाएगा। **जोखिम बीमा–सुरक्षा** अनुसूची में यथा निर्दिष्ट मृत्यु हितलाभ वास्तविक बकाया ऋण से अधिक या कम हो सकता है।

ख. परिपक्वता हितलाभ :

पॉलिसी अवधि के समापन तक बीमित व्यक्ति के जीवित रहने पर कोई परिपक्वता हितलाभ देय नहीं हैं।

4. इस योजना के अंतर्गत उपलब्ध विकल्प (समय से पहले ऋण का पुनर्भुगतान करने की स्थिति में):

यदि किसी बीमित व्यक्ति द्वारा पॉलिसी अवधि की समाप्ति से पहले बकाया ऋण का पुनर्भुगतान कर दिया जाता है, तो उसे निम्नलिखित दो विकल्प मिलेंगे :

- **अपनी बीमा–सुरक्षा का अभ्यर्पण करने का विकल्प।**

इस प्रकार के निरस्तीकरण पर, चालू जोखिम प्रीमियम मूल्य, यदि कोई हो, के बराबर राशि देय होगी, जैसा कि नीचे दिए गए पैरा 11 में निर्दिष्ट किया गया है।

- **पॉलिसी अवधि की समाप्ति तक पॉलिसी जारी रखने का विकल्प।**

पॉलिसी अवधि के दौरान बीमित व्यक्ति की मृत्यु होने की स्थिति में, मृत्यु लाभ जोखिम बीमा–सुरक्षा की अनुसूची के अनुसार नामांकित व्यक्ति को देय होगा।

5. प्रीमियमों का भुगतान:

इस योजना के अंतर्गत सीमित प्रीमियम या एकल प्रीमियम भुगतान विकल्पों के अंतर्गत प्रीमियमों का भुगतान किया जा सकता है। सीमित प्रीमियम भुगतान की स्थिति में, प्रीमियम भुगतान अवधि के दौरान प्रीमियम का भुगतान नियमित रूप से किया जा सकता है, जिसमें प्रीमियम भुगतान का प्रकार वार्षिक या अर्ध–वार्षिक हो सकता है।

देय प्रीमियम बीमित किए जाने वाले व्यक्ति की प्रवेश के समय आयु, धूम्रपान की स्थिति, लिंग, पॉलिसी अवधि, प्रीमियम भुगतान की अवधि और मूल बीमा राशि, चुनी गई ब्याज दर पर आधारित होगी। उदाहरण के लिए, यदि बीमित व्यक्ति ने 7.25% की दर पर ऋण लिया है, तो उसके द्वारा जोखिम बीमा–सुरक्षा की अनुसूची तैयार करने के उद्देश्य से 7% या 8% की ब्याज दर चुनी जा सकती है।

एकल प्रीमियम के अंतर्गत, न्यूनतम प्रीमियम रू. 13,000/– होगी। सीमित प्रीमियम के प्रकार के अंतर्गत, न्यूनतम किस्त प्रीमियम रू. 3,000/– होगी। (हालांकि, रू. 20,00,000 से लेकर रू. 50,00,000 से कम की मूल बीमा राशि के लिए, न्यूनतम किस्त प्रीमियम, सीमित प्रीमियम वाली पॉलिसियों के लिए रू. 2,400 और एकल प्रीमियम वाली पॉलिसियों के लिए रू. 8,040 होगी।)

6. अनुग्रह अवधि (सीमित प्रीमियम भुगतान के लिए लागू):

भुगतान न हुई पहली प्रीमियम की तिथि से वार्षिक या अर्द्धवार्षिक प्रीमियमों के भुगतान हेतु 30 दिनों की एक अनुग्रह अवधि की अनुमति होगी। इस अवधि के दौरान, पॉलिसी की शर्तों के अनुसार यह पॉलिसी बगैर किसी रुकावट के, जोखिम बीमा–सुरक्षा के साथ प्रभावी मानी जाएगी। यदि अनुग्रह के दिनों के समापन से पहले प्रीमियम का भुगतान नहीं किया जाता है, तो पॉलिसी कालातीत हो जाती है।

भुगतान न हुई पहली प्रीमियम की तिथि से अनुग्रह अवधि के समापन के बाद सभी लाभ स्थगित हो जाएंगे तथा ऐसी पॉलिसियों के अंतर्गत कुछ भी देय नहीं होगा।

7. नमूने के लिए उदाहरणात्मक प्रीमियम:

धूम्रपान न करने वाले पुरुष की 25 वर्षीय पॉलिसी अवधि एवं 50 लाख रुपये की मूल बीमा राशि वाली पॉलिसी, जिस पर ऋण की ब्याज दर 8% है, के लिए नमूने की उदाहरणात्मक प्रीमियम निम्नानुसार है:

आयु (पिछला जन्मदिवस, वर्षों में)	एकल प्रीमियम (रु. में)	5 वर्ष की सीमित प्रीमियम भुगतान अवधि के लिए वार्षिक प्रीमियम (रु. में)	10 वर्ष की सीमित प्रीमियम भुगतान अवधि के लिए वार्षिक प्रीमियम (रु. में)	15 वर्ष की सीमित प्रीमियम भुगतान अवधि के लिए वार्षिक प्रीमियम (रु. में)
20	40,900	10,100	6,100	4,850
30	53,550	13,150	7,900	6,200
40	1,03,450	25,100	14,900	11,650

उपर्युक्त प्रीमियम करों को छोड़कर हैं।

पॉलिसी अवधि 25 वर्ष और ऋण ब्याज दर 8% के लिए नमूना जोखिम बीमा–सुरक्षा अनुसूची निम्नानुसार है :

पॉलिसी वर्ष	संबंधित पॉलिसी वर्ष के लिए मृत्यु पर बीमा राशि	पॉलिसी वर्ष	संबंधित पॉलिसी वर्ष के लिए मृत्यु पर बीमा राशि	पॉलिसी वर्ष	संबंधित पॉलिसी वर्ष के लिए मृत्यु पर बीमा राशि
1	1000.00	11	801.84	21	374.03
2	986.32	12	772.31	22	310.28
3	971.55	13	740.42	23	241.42
4	955.59	14	705.97	24	167.05
5	938.36	15	668.77	25	86.74
6	919.75	16	628.59		
7	899.65	17	585.20		
8	877.95	18	538.34		
9	854.50	19	487.73		
10	829.19	20	433.07		

8. छूटें / भार:

मूल योजना के लिए छूटें / लोडिंग निम्नानुसार हैं:

(i) उच्च बीमा राशि छूट: दोनों प्रीमियम भुगतानों अर्थात सीमित प्रीमियम और एकल प्रीमियम के लिए लागू छूटें निम्नानुसार हैं:

सीमित प्रीमियम :

आयु बंधन (एलबीडी)	अलग-अलग मूल बीमा राशियों के लिए सारणीबद्ध वार्षिक प्रीमियम के % के रूप में उच्च बीमा राशि छूट			
	रू. 20 लाख से लेकर रू. 1 करोड़ से कम तक	रू. 1 करोड़ से लेकर रू. 2 करोड़ से कम तक	रू. 2 करोड़ से लेकर रू. 5 करोड़ से कम तक	रू. 5 करोड़ और उससे अधिक
30 वर्ष तक	शून्य	17%	27%	37%
31 से 45 वर्ष	शून्य	15%	25%	35%

एकल प्रीमियम:

आयु बंधन (एलबीडी)	अलग-अलग मूल बीमा राशियों के लिए सारणीबद्ध वार्षिक प्रीमियम के % के रूप में उच्च बीमा राशि छूट			
	रू. 20 लाख से लेकर रू. 1 करोड़ से कम तक	रू. 1 करोड़ से लेकर रू. 2 करोड़ से कम तक	रू. 2 करोड़ से लेकर रू. 5 करोड़ से कम तक	रू. 5 करोड़ और उससे अधिक
30 वर्ष तक	शून्य	15%	25%	33%
31 से 45 वर्ष	शून्य	14%	24%	31%

(ii) प्रीमियम रूपांतरण कारक (सीमित प्रीमियम भुगतान के लिए लागू):

विधि	प्रीमियम रूपांतरण कारक
वार्षिक	1
अर्द्धवार्षिक	0.51

9. पुनर्चलन (नियमित और सीमित प्रीमियम भुगतान के लिए लागू):

यदि अनुग्रह अवधि के भीतर प्रीमियमों का भुगतान नहीं किया जाता है तो पॉलिसी कालातीत हो जाएगी। किसी कालातीत पॉलिसी को बीमित व्यक्ति के जीवन काल के दौरान, लेकिन प्रथम अदत्त प्रीमियम की तिथि से लगातार 5 वर्षों की अवधि के भीतर और परिपक्वता की तिथि से पहले, जैसी भी स्थिति हो, पुनर्चलित किया जा सकता है। पुनर्चलन को ऐसी दर पर ब्याज (छमाही चक्रवृद्धि होने वाली) के साथ सभी बकाया प्रीमियमों का भुगतान किए जाने पर जैसा कि निगम द्वारा समय-समय पर निर्धारित किया जा सकता है, पहले से उपलब्ध जानकारी, दस्तावेजों और रिपोर्ट्स तथा इस संबंध में पॉलिसीधारक/बीमित व्यक्ति द्वारा प्रस्तुत की जाने वाली किसी अतिरिक्त जानकारी, जैसा कि पुनर्चलन के समय निगम के बीमांकन संबंधी नियमों के अनुसार आवश्यक हो सकता है, के आधार पर कार्यान्वित किया जाएगा।

हालाँकि, निगम बंद हो गई पॉलिसी का पुनर्चलन मूल शर्तों पर स्वीकार करने, संशोधित शर्तों के साथ स्वीकार करने या अस्वीकार करने का अधिकार सुरक्षित रखता है। बंद हो गई पॉलिसी का पुनर्चलन निगम द्वारा अनुमोदित, स्वीकार किए जाने और पुनर्चलन रसीद जारी किए जाने पर ही प्रभावी होगा।

1 मई से 30 अप्रैल तक प्रत्येक 12 महीने की अवधि के लिए इस योजना के अंतर्गत पुनर्चलन के लिए लागू ब्याज दर पिछले वित्तीय वर्ष के अंतिम व्यवसायिक दिवस पर 10 वर्ष की जी–सेक दर प्रति वर्ष अर्धवार्षिक चक्रवृद्धि एवं इस में 3% या निगम के असंबद्ध, असहभागी फंड पर अर्जित लाभ एवं इस में 1% जोड़कर, जो भी अधिक हो, उससे अधिक नहीं होगी। 1 मई, 2024 से 30 अप्रैल, 2025 तक 12 महीने की अवधि के दौरान स्वीकृत ऋण के लिए लागू ब्याजदर 9.50% प्रतिवर्ष चक्रवृद्धि अर्द्ध–वार्षिक होगी। पॉलिसी पुनर्चलन के लिए लागू ऋण ब्याज के निर्धारण का आधार परिवर्तन के अधीन है।

यदि किसी कालातीत पॉलिसी को पुनर्चलन की अवधि के भीतर, लेकिन परिपक्वता की तिथि से पहले पुनर्चलित नहीं किया जाएगा, तो पॉलिसी स्वत: समाप्त हो जाएगी और चालू जोखिम प्रीमियम मूल्य, यदि कोई हो, के बराबर राशि देय होगी।

10. चुकता:

इस योजना के अंतर्गत कोई चुकता मूल्य उपलब्ध नहीं है।

11. अभ्यर्पण:

पॉलिसी के अभ्यर्पण पर, इस योजना के अंतर्गत कोई अभ्यर्पण मूल्य उपलब्ध नहीं होगा। हालाँकि, निम्नलिखित स्थिति में पॉलिसी के अभ्यर्पण पर

ए) एकल प्रीमियम वाली पॉलिसियाँ: लागू चालू जोखिम प्रीमियम मूल्य, यदि कोई हो, पॉलिसी अवधि के दौरान किसी भी समय देय होगा।

बी) सीमित प्रीमियम भुगतान : केवल लागू चालू जोखिम प्रीमियम मूल्य, यदि कोई हो, देय होगा, यदि कम से कम निम्नलिखित के लिए पूर्ण प्रीमियम का भुगतान किया गया है :

i) प्रीमियम भुगतान अवधि 5 वर्ष होने की स्थिति में लगातार दो वर्ष।

ii) प्रीमियम भुगतान अवधि 10 वर्ष और 15 वर्ष होने की स्थिति में लगातार तीन वर्ष। कालातीत पॉलिसी के मामले में, पुनर्चलन अवधि के दौरान पॉलिसी के अभ्यर्पण पर, लागू चालू जोखिम प्रीमियम मूल्य, यदि कोई हो, देय होगा। हालाँकि, पुनर्चलन अवधि की समाप्ति पर, पॉलिसी समाप्त हो जाएगी और पॉलिसीधारक को चालू जोखिम प्रीमियम मूल्य, यदि कोई हो, देय होगा। पुनर्चलन अवधि के दौरान कालातीत पॉलिसी के अंतर्गत बीमित व्यक्ति की मृत्यु होने की स्थिति में, चालू जोखिम प्रीमियम मूल्य, यदि कोई हो, देय होगा।

12. पॉलिसी ऋण:

इस योजना के अंतर्गत कोई ऋण उपलब्ध नहीं होगा।

13. कुछ स्थितियों में जब्ती:

यदि यह पता चलता है कि प्रस्ताव, व्यक्तिगत विवरण, घोषणा और संबंधित दस्तावेजों में कोई असत्य या गलत विवरण है या कोई भी महत्वपूर्ण जानकारी प्रकट नहीं की गई है, तो, और ऐसे प्रत्येक मामले में पॉलिसी शून्य हो जाएगी और इसके आधार पर किसी भी लाभ के सभी दावे समय–समय पर यथा संशोधित बीमा अधिनियम, 1938 की धारा 45 के प्रावधानों के अधीन होंगे।

14. पॉलिसी की समाप्ति:

निम्नलिखित में से सबसे पहले किसी भी घटना के होने की स्थिति में पॉलिसी तत्काल और स्वत: समाप्त हो जाएगी:

ए) जिस तिथि को मृत्यु हितलाभ का भुगतान किया जाता है; या

बी) जिस तिथि को पॉलिसी का अभ्यर्पण करने की स्थिति में चालू जोखिम प्रीमियम मूल्य, यदि कोई हो, का निपटान किया जाता है; या

सी) परिपक्वता की तिथि पर; या

डी) पुनर्चलन की अवधि की समाप्ति पर, यदि पॉलिसी का पुनर्चलन की अवधि के भीतर पुनर्चलन नहीं किया गया है; या

ई) निःशुल्क अवलोकन निरस्तीकरण राशि के भुगतान पर; या

एफ) उपरोक्त पैरा 13 में निर्दिष्ट जब्ती की स्थिति में।

15. कर:

ऐसी बीमा योजनाओं पर भारत सरकार द्वारा या भारत के किसी अन्य संवैधानिक कर प्राधिकरण द्वारा आरोपित किए जाने वाले वैधानिक कर, यदि कोई हो, कर कानूनों के अनुसार होंगे तथा कर की दर समय-समय पर लागू अनुसार होगी।

प्रीमियम(मों) पर प्रचलित दरों के अनुसार किन्हीं लागू करों की राशि पॉलिसी धारक द्वारा देय होगी, जिसमें अतिरिक्त प्रीमियमें, यदि कोई हों, शामिल हैं, जिन्हें पॉलिसी धारक द्वारा देय प्रीमियम(मों) के अतिरिक्त अलग से वसूल किया जाएगा। इस योजना के अंतर्गत देय लाभों की गणना के लिए भुगतान किए गए कर की राशि को विचाराधीन नहीं रखा जाएगा।

इस योजना के अंतर्गत भुगतान की जाने वाली प्रीमियम(मों) एवं देय लाभों पर आय कर लाभों/निहितार्थों के संबंध में विस्तृत जानकारी के लिए कृपया अपने कर सलाहकार से परामर्श करें।

16. निशुल्क अवलोकन:

यदि पॉलिसी धारक पॉलिसी के ''नियमों व शर्तों'' से संतुष्ट नहीं है तो पॉलिसी दस्तावेज के इलेक्ट्रॉनिक या भौतिक विधि से प्राप्त होने की तिथि से 30 दिनों के भीतर, जो भी पहले हो, आपत्तियों के कारण बताते हुए पॉलिसी निगम को वापस की जा सकती है। इस की प्राप्ति पर निगम द्वारा पॉलिसी को निरस्त कर दिया जाएगा और जमा की गई प्रीमियम की राशि को सुरक्षा की अवधि के लिए आनुपातिक जोखिम प्रीमियम (मूल योजना और राइडर के लिए, यदि कोई हो), चिकित्सा परीक्षण पर हुए व्ययों, विशेष रिपोर्ट, यदि कोई हो और स्टांप शुल्क की कटौती करके वापस कर दिया जाएगा।

17. आत्महत्या अपवर्जन:

i) सीमित प्रीमियम वाली पॉलिसी के अंतर्गत :

यदि बीमित व्यक्ति (चाहे वह मानसिक रूप से स्वस्थ हो या विक्षिप्त) द्वारा पॉलिसी के अंतर्गत जोखिम शुरू होने की तिथि से या पॉलिसी के पुनर्चलन की तिथि से, जैसा भी लागू हो, 12 महीने के भीतर किसी भी समय आत्महत्या की जाती है, तो बीमित व्यक्ति के नामिति या लाभार्थी को मृत्यु की तिथि तक भुगतान की गई कुल प्रीमियम (किसी अतिरिक्त प्रीमियम, राइडर प्रीमियम और करों को छोड़कर, यदि इन्हें स्पष्ट रूप से लिया गया है) के 80% को पाने की पात्रता होगी, बशर्ते कि पॉलिसी चालू हो।

यह खंड कालातीत हो गई पॉलिसी के संबंध में लागू नहीं होगा, क्योंकि इस प्रकार की पॉलिसियों के अंतर्गत कुछ भी देय नहीं होता है।

ii) एकल प्रीमियम वाली पॉलिसी के अंतर्गत :

यदि बीमित व्यक्ति (चाहे वह मानसिक रूप से स्वस्थ हो या विक्षिप्त) द्वारा पॉलिसी के अंतर्गत जोखिम शुरू होने की तिथि से 12 महीनों के भीतर किसी भी समय आत्महत्या की जाती है, तो बीमित व्यक्ति के नामिती या लाभार्थी को किसी अतिरिक्त प्रीमियम और करों को छोड़कर, यदि इन्हें स्पष्ट रूप से लिया गया है, भुगतान की गई एकल प्रीमियम के 80% को पाने की पात्रता होगी।

18. शिकायत निवारण तंत्र:

निगम की:

ग्राहकों की शिकायतों के निवारण के लिए निगम के शाखा/मंडल/क्षेत्रीय/केंद्रीय कार्यालय में शिकायत निवारण अधिकारी (जीआरओ) हैं। ग्राहक जीआरओ के नाम और संपर्क विवरण तथा शिकायतों से संबंधित अन्य जानकारी के लिए हमारी वेबसाइट (https://licindia.in/web/guest/grievances) पर विज़िट कर सकते हैं।

ग्राहकों की शिकायतों के त्वरित निवारण को सुनिश्चित करने के लिए निगम ने हमारे ग्राहक पोर्टल (वेबसाइट) http://www.licindia.in के माध्यम से ग्राहक अनुकूल एकीकृत शिकायत प्रबंधन प्रणाली शुरू की है, जहाँ पंजीकृत पॉलिसीधारक सीधे शिकायत/परिवाद दर्ज कर सकते हैं और उसकी स्थिति पर नज़र रख सकते हैं। ग्राहक किसी भी शिकायत के निवारण के लिए ई–मेल आईडी co_complaints@ licindia.com पर भी संपर्क कर सकते हैं।

दावाकर्ता के पास मृत्यु दावे के इनकार के निर्णय से संतुष्ट न होने पर उनके पास अपना प्रकरण समीक्षा के लिए क्षेत्रीय कार्यालय दावा विवाद निवारण समिति या केन्द्रीय कार्यालय दावा विवाद निवारण समिति के पास भेजने का विकल्प है। एक सेवा–निवृत्त उच्च न्यायालय/जिला न्यायालय का न्यायाधीश प्रत्येक दावा विवाद निवारण समिति का सदस्य होता है।

आईआरडीएआई की:

यदि कोई ग्राहक हमसे प्राप्त प्रतिक्रिया से संतुष्ट नहीं है या उसे 15 दिनों के अंदर कोई प्रतिक्रिया प्राप्त नहीं होती है तो वह निम्नलिखित में से किसी भी माध्यम से संरक्षण और शिकायत निवारण विभाग से सम्पर्क कर सकता है :

i) टोल फ्री नंबर 155255/18004254732 पर कॉल करके (अर्थाथ आईआरडीएआई का शिकायत कॉल सेन्टर – (बीमा भरोसा शिकायत निवारण केन्द्र)

ii) complaints@irdai.gov.in पर ई–मेल प्रेषित करके

iii) https://bimabharosa.irdai.gov.in पर ऑनलाइन शिकायत दर्ज करके

iv) कोरियर/पत्र के माध्यम से शिकायत भेजने का पता: महाप्रबंधक, पॉलिसीधारक सुरक्षा और शिकायत निवारण विभाग, भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण, सर्वे क्षण संख्या 115/1, फाइनेंशियल डिस्ट्रीक्त, नानकरामगुडा, गाचीबावली, हैदराबाद – 500032, तेलंगाना।

लोकपाल की:

दावा संबंधी शिकायतों के निवारण के लिए, दावाकर्ता बीमा लोकपाल से भी संपर्क कर सकते हैं, जहाँ ग्राहकों को कम खर्च में त्वरित मध्यस्थता मिलती है।

बीमा अधिनियम, 1938 की धारा 45:

समय–समय पर यथा संशोधित बीमा अधिनियम, 1938 की धारा 45 के प्रावधान लागू होंगे। वर्तमान प्रावधान इस प्रकार हैं।

(1) पॉलिसी की तिथि, यानि पॉलिसी के जारी होने की तिथि या जोखिम के प्रारंभ होने की तिथि या पॉलिसी के पुनर्चलन की तिथि या पॉलिसी के राइडर की तिथि, जो भी बाद में हो, से 3 वर्ष समाप्त होने के पश्चात जीवन बीमा की किसी भी पॉलिसी पर किसी भी आधार पर कोई प्रश्न नहीं उठाया जाएगा।

(2) जीवन बीमा की किसी पॉलिसी पर धोखाधड़ी के आधार पर पॉलिसी के जारी होने की तिथि या जोखिम के प्रारंभ होने की तिथि या पॉलिसी के पुनर्चलन की तिथि या पॉलिसी के राइडर की तिथि, जो भी बाद में हो, से 3 वर्ष समाप्त होने के भीतर किसी भी समय प्रश्न उठाया जा सकता है।

बशर्ते, बीमाकर्ता को बीमित व्यक्ति को या बीमित व्यक्ति के वैधानिक प्रतिनिधियों या नामितियों या समनुदेशितियों को ऐसे आधारों एवं तथ्यों की लिखित सूचना देनी होगी, जिन पर ऐसा निर्णय आधारित है।

स्पष्टीकरण I: इस उप–अनुच्छेद के उद्देश्य से, अभिव्यक्ति ''धोखाधड़ी'' से आशय बीमित व्यक्ति या उसके अभिकर्ता द्वारा, बीमाकर्ता को धोखा देने, या बीमाकर्ता को कोई जीवन बीमा पॉलिसी जारी करने हेतु उकसाने की मंशा से निम्नांकित में से कोई भी कृत्य किया जाना है :

(ए) सुझाव, एक तथ्य के रूप में उस बारे में, जो सत्य नहीं है और जिसे बीमित व्यक्ति सत्य नहीं मानता है;

(बी) बीमित व्यक्ति द्वारा किसी तथ्य का सक्रिय रूप से छुपाया जाना, जिस तथ्य का उसे ज्ञान हो या उसमें विश्वास हो;

(सी) धोखा देने के लिए किया गया कोई अन्य कृत्य; एवं

(डी) ऐसा कोई कृत्य या चूक जो कानून द्वारा विशिष्ट रूप से धोखाधड़ी के रूप में घोषित हो।

स्पष्टीकरण ।। : बीमाकर्ता द्वारा जोखिम के आकलन को प्रभावित करने वाले तथ्यों के बारे में सिर्फ चुप रहना धोखाधड़ी नहीं है, जब तक कि मामले की परिस्थितियों के अनुसार, बीमित व्यक्ति या उसके अभिकर्ता का यह कर्तव्य है, बोलने से चुप रहना, या अन्यथा उसकी खामोशी, अपने आप में बोलने के बराबर न हो।

(3) उपधारा (2) में कुछ भी निहित होने के बावजूद, कोई भी बीमाकर्ता किसी जीवन बीमा पॉलिसी को धोखाधड़ी के आधार पर अस्वीकृत नहीं कर सकता है, अगर बीमित व्यक्ति यह प्रमाणित कर सके कि गलतबयानी या महत्वपूर्ण तथ्य को छुपाना उसकी अधिकतम जानकारी के अनुसार सही था और उसने जान–बूझकर तथ्यों को छिपाने की कोशिश नहीं की या कथित गलतबयानी या महत्त्वपूर्ण तथ्य को छिपाया जाना बीमाकर्ता की जानकारी में था :

बशर्ते धोखाधड़ी के मामले में इसे गलत साबित करने का दायित्व लाभार्थियों पर है अगर पॉलिसीधारक जीवित नहीं है।

स्पष्टीकरण – कोई व्यक्ति जो बीमा के अनुबंध का आग्रह और उसकी सौदेबाजी करता है, उसे अनुबंध के प्रयोजन के लिए बीमाकर्ता का अभिकर्ता माना जाएगा।

(4) जीवन बीमा की किसी पॉलिसी पर पॉलिसी के जारी करने की तिथि या जोखिम के आरंभ होने की तिथि या पॉलिसी के पुनर्चलन की तिथि या पॉलिसी के राइडर की तिथि, जो भी बाद में हो, से तीन वर्ष के भीतर किसी भी समय, इस आधार पर प्रश्न उठाया जा सकता है कि बीमित व्यक्ति के जीवनकाल से संबंधित किसी तथ्य को प्रस्ताव प्रपत्र में या किसी अन्य दस्तावेज में, जिसके आधार पर पॉलिसी जारी की गई थी या पुनर्चलित की गई थी या राइडर जारी किया गया था, छिपाया गया था या गलत दिखाया गया था।

बशर्ते बीमाकर्ता द्वारा बीमित व्यक्ति को या बीमित व्यक्ति के कानूनी प्रतिनिधि या नामांकित व्यक्तियों या समनुदेशितियों को लिखित में उन आधारों तथा तथ्यों के बारे में सूचित करना होगा, जिनके आधार पर जीवन बीमा की पॉलिसी को अस्वीकृत करने का यह निर्णय लिया गया है।

बशर्ते महत्त्वपूर्ण तथ्य की गलतबयानी या छिपाए जाने के आधार पर पॉलिसी को अस्वीकृत किए जाने तथा धोखाधड़ी की स्थिति न होने पर, अस्वीकृति की तिथि तक पॉलिसी पर जमा की गई सभी प्रीमियमों का भुगतान बीमित व्यक्ति या बीमित व्यक्ति के कानूनी प्रतिनिधि या नामितों या समनुदेशितियों को ऐसी अस्वीकृति की तिथि से नब्बे दिनों के भीतर कर दिया जाएगा।

स्पष्टीकरण – इस उप–धारा के प्रयोजन हेतु, किसी तथ्य की गलतबयानी या छिपाए जाने को तब तक महत्त्वपूर्ण नहीं माना जाएगा, जब तक कि उसका बीमाकर्ता द्वारा स्वीकार किए गए जोखिम पर कोई प्रत्यक्ष प्रभाव न हो, यह प्रमाणित करने का दायित्व बीमाकर्ता का होगा कि अगर बीमाकर्ता को स्थापित तथ्य की जानकारी होती तो वह बीमित व्यक्ति को यह जीवन बीमा पॉलिसी जारी नहीं करता।

(5) इस धारा में निहित कुछ भी बीमाकर्ता को किसी भी समय आयु का प्रमाण माँगने से नहीं रोकती है, अगर वह इसके लिए अधिकृत है तथा किसी पॉलिसी पर केवल इसलिए प्रश्न नहीं उठाया जा सकता है कि प्रस्ताव में गलत उल्लेख की गई बीमित व्यक्ति की आयु को सबूत के आधार पर बाद में समायोजित किया गया था।

छूटों की निषिद्धता (बीमा अधिनियम, 1938 की धारा 41)

1) कोई व्यक्ति किसी अन्य व्यक्ति को, भारत में जीवन या संपत्ति से संबंधित किसी भी प्रकार के जोखिम के संदर्भ में कोई बीमा लेने या नवीकृत करवाने या जारी रखने के लिए, देय कमीशन पर संपूर्ण या आंशिक छूट या पॉलिसी में दर्शाए गए प्रीमियम पर किसी छूट के लिए प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से प्रलोभन देने की अनुमति नहीं देगा या प्रलोभन देने का प्रस्ताव नहीं करेगा, और न ही पॉलिसी लेने या पुर्नचलन करवाने वाला कोई व्यक्ति कोई छूट स्वीकार करेगा, जिसमें वह छूट अपवाद है जो बीमाकर्ता के प्रकाशित सूचीपत्रो या सारणियों के अनुसार दी जा सकती है।

एलआईसी पर लागू बीमा अधिनियम, 1938 की विभिन्न धाराएं, समय–समय पर यथा संशोधित रूप में लागू होगी।

इस उत्पाद विवरणिका में योजना की केवल मुख्य विशेषताएं दी गई हैं। अन्य विवरणों के लिए, कृपया हमारी वेबसाइट www.licindia.in पर पॉलिसी दस्तावेज देखें या हमारी नजदीकी शाखा से संपर्क करें।

नकली फ़ोन कॉल्स तथा झूठे/धोखेधड़ी वाले ऑफ़र्स से सावधान रहे।

आईआरडीएआई बीमा पॉलिसियों की बिक्री, बोनस की घोषणा करने या प्रीमियमों के निवेश, राशियों की वापसी करने जैसी बीमा व्यवसाय की किसी भी गतिविधियों में शामिल नहीं हैं। ऐसे कॉल प्राप्त करने वाले पॉलिसीधारकों या संभावित ग्राहकों से पुलिस में शिकायत दर्ज कराने का निवेदन किया जाता है।

भारतीय जीवन बीमा निगम

1 सितंबर, 1956 को जीवन बीमा निगम अधिनियम, 1956 के अंतर्गत ''भारतीय जीवन बीमा निगम'' की स्थापना की गई थी, जिसका उद्देश्य जीवन बीमा का अधिक व्यापक रूप से, विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में इस दृष्टि से प्रसार करना था कि देश के सभी बीमा योग्य व्यक्तियों तक पहुँचा जा सके और उन्हें बीमित स्थितियों के प्रति पर्याप्त वित्तीय सुरक्षा प्रदान की जा सके। भारतीय बीमा के उदारीकृत परिदृश्य में भी एलआईसी महत्वपूर्ण जीवन बीमाकर्ता बना हुआ है और अपने पिछले रिकॉर्ड को तोड़कर आगे निकलते हुए विकास की नई राह पर तेजी से कदम आगे बढ़ा रहा है। अपने अस्तित्व में आने के बाद से छह दशकों से अधिक समय से एलआईसी ने परिचालन के विभिन्न क्षेत्रों में लगातार मजबूती हासिल की है।

पंजीकृत कार्यालय:
भारतीय जीवन बीमा निगम
केन्द्रीय कार्यालय, योगक्षेम
जीवन बीमा मार्ग,
मुंबई–400021
वेबसाइड: **www.licindia.in**
पंजीकरण संख्या: 512